<i>Dublicate Copy</i> 25-Jun-2024		
	आदेश	
तिथि May 22 2023		 आदेश पर की गर्ड कारवार्ड

अभिलेख आज प्रस्तुत किया गया । क्षेत्रिय कर्मचारी ने अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्रतिवेदन समर्पित किया । प्राप्त प्रतिवेदनानुसार आवेदित जमीन मौजा बडा सेखपुरा थाना मधुपुर

खाता	प्लाँट	रकबा
33/1,33अंश	0/1	0 एकड़,12.45 डिसमील, 0हेक्टर

का बिक्रेता

विक्रेता का नाम	रिश्ता	अभिभावक का नाम
SHYAM BIHARI CHOUDHARY	पिता	LT CHHATRADHARI CHOUDHARY
RAJESHWAR CHOUDHARY	पिता	LT CHHATRADHARI CHOUDHARY

है जिन्होनें निवंधित बिक्री, बिक्री-केवाला संख्या दिनांक MMM d yyyyके द्वारा आवेदक को बिक्री किए हैं। उक्त जमीन का खतियानी / जमाबंदीरैयत

रैयत का नाम	रिश्ता	अभिभावक का नाम
श्याम विहार चौधरी एंव राजेशवर चौधरी	पिता	छडाधारी चौधरी

वर्तमान जमीन पर आवेदक का दखल है। सर्वसाधारण सूचना का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त हुआ। किसी ने कोई आपत्ती नहीं की है। क्षेत्रिय कर्मचारी / अं/िन. ने आवेदित भूमि का नामान्तरण आवेदक के नाम से करने हेतु अनुशंसा किया है। नामांतरण में पारित आदेश अपीलीय प्रकृति का होता है एवं नामांतरण कोई Title decide नहीं करता है। अतः राजस्व हित में/प्रश्नगत भूमि के नामांतरण में आपत्ति के आभाव में / राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के अनुशंसा के आधार पर दाखिल ख़ारिज की स्वीकृति दी जाती है। यह आदेश पूर्णतः अपीलीय है। भविष्य में अगर उच्चतर न्यायलय से कोई आदेश पारित हो अथवा/अन्य किसी रैयत से आपत्ति प्राप्त होता है तो नामांतरण आदेश तदन्सार प्रभावित होगा।

अत: वार्षिक लगान <u>40**रुपये**</u>

अलावे सेस के साथ नामान्तरण

स्वीकृत

किया जाता है।

श्द्धि पत्र हस्ताक्षरित कर निर्गत किया जाता है|

Digitally Signed by : Permeshwar Kushwaha

अंवलाधिकारी मध्पूर